न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 21/18 (वाद)

अनवान

1. श्री लालसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।

................वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
2. श्रीमती नाथुकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
3. श्री माधुसिंह पिता ईशरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावलीं।
4. श्रीमती रतनकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी रणजीतसिंह राजपूत निवासी अबजी का खेडा, तह. नाथद्वारा।
5. श्रीमती गीताकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी ढिल्ली तह. रेलमगरा।
6. श्रीमती शोभाकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी अमरसिंह राजपूत निवासी रणिया भीण्डर तह. वल्लभनगर।
7. श्रीमती शंकरकुंवर पत्नी ईशरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
8. श्री हीरसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
9. श्रीमती हरक कुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह राणावत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
11. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।
12. सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मंगरी तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, वादी।
2. श्री घनश्याम पालीवाल, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 30.09.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धरा 53 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2057, 2058, 2059, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100 किता 12 रकबा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

17 बीघा 8 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वादी, प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, खातेदार ईशरसिंह एवं प्रतिवादी सं. 8 के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। खातेदार ईशरसिंह का देहान्त हो चुका हैं जिनके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 से 7 एवं 12 है। उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी हक की होकर उक्त वर्णित कृषि भूमियों का सभी सहखातेदारान के मध्य अपने-अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर बंटवाडा किया हुआ होकर सभी अपने-अपने नाम अंकित भूमि हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

2. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादी को अपने हिस्सा भूमि को और अधिक विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 के मध्य मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए वादी की ओर से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत हैं।

3. यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि का वर्षों पूर्व ही मौके पर बंटवाडा किया हुआ होकर वादी वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 9 जोर जबरदस्ती मुझ वादी के कब्जे काश्त व खाते की जमीन पर अनाधिकार रूप से प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते है तथा मुझ वादी के कब्जे काश्त में भी दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है। मैं वादी एवं मेरे परिवारजन प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना करता हुं तो प्रतिवादीगण हमारे साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा करते है और जान से मारने की धमकीयां देते है तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं. 9 के हिस्से की कुछ भूमि को कुर्क करने के आदेश भी जारी है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 9 मुझ वादी के हिस्से की जमीन को अपनी बताकर कुर्क करवाने पर उतारू हो रही है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

कराने का अधिकारी हुं कि प्रतिवादी सं. 1 से 9 मुझ वादी के हिस्से कब्जे एवं खातेदारी की भूमि में मुझ वादी को शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, मुझ वादी के कब्जे हिस्से व खातेदारी की जमीन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, प्रवेश नहीं करें, प्रतिवादी सं. 10, 11 उक्त भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा हो जाने से पूर्व प्रतिवादी सं. 9 के हिस्से की जमीन की कुर्की की कार्यवाही नहीं करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत करावें।

4. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशयक की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9, 12 के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सानुसार व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का बंटवाडा पृथक–पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कराये जाने व अलग से नक्शें में पृथक–पृथक हिस्सा पैमुद कराये जाने एवं इसी अनुपात में लगान का बरफाल फरमाये जाने की डिक्री प्रदान फरमाई जावे एवं इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 1 से 9, 12 मुझ वादी के हिस्से कब्जें एवं खातेदारी भूमि में मुझ वादी को शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, मुझ वादी के कब्जे हिस्से व खातेदारी की जमीन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाने पर सहमति जाहिर की।

6. प्रकरण में दिनांक 25.01.2018 को वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। तहसीलदार मावली द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना पत्र क्रमांक राजस्व/2020/103 दिनांक 15.01.2020 से प्रस्तुत की गई। पीडी पालना पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

7. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 600/— अक्षरे छः सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

क्र.स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भंवरसिंह लालसिंह पिता भेरूसिंह मु. नाथुकुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह ही.ब. राजपूत सा. टिलोरा खातेदार	2059/1	1.00	जा.उ.	3.50
		2093 मी.	0.18	जा.उ.0.11	1.93
				चा.उ.0.07	2.45
		2094/1	0.16	चा.उ	5.60
		2095/2	0.01	बीड	0.02
		2096 मी.	1.05	चा.उ.0.19	6.65
				जा.उ.0.06	1.05
		2098/3	0.02	जा.उ.0.02	0.35
	योग	किता 6	4.02	—	21.55
2	माधुसिंह रतनकुंवर गीताकुंवर शोभाकुंवर सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह शंकर कुंवर पत्नी ईश्वरसिंह ही.ब. राजपूत सा. टिलोरा खातेदार	2059/3	0.17	चा.उ.	5.95
		2057 मी.	0.14	बीड	0.35
		2095 मी.	0.13	बीड	0.33
		2098/1	0.10	जा.उ.0.03	0.53
				चा.उ.0.07	2.45
		2099	0.12	जा.उ.0.05	0.88
				चा.उ.0.07	2.45
		2100/1	0.15	जा.उ.	2.63
	योग	किता 6	4.01	—	15.57
3	हीरसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत सा टिलोरा खातेदार	2059 मी.	1.12	जा.उ	5.60
		2057/3	0.03	बीड	0.08
		2092	1.07	चा.उ	9.45
		2093/1	0.04	चा.उ.	1.40
		2094 मी.	0.13	जा.उ.0.06	1.05
				चा.उ.0.07	2.45
		2096/1	0.02	जा.उ.	0.35
	योग	किता 6	4.01	—	20.38
4	श्रीमती हरककुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह राणावत राजपूत सा. उंखलिया मगरी टिलोरा खातेदार नोट : मा.सिविल न्यायालय मावली प्र.स. 191/2008 अन्तर्गत हरककुंवर पत्नी भेरूसिंह का 1/6 हिस्सा कुर्क हैं।	2059/2	0.17	जा.उ	2.98
		2057/1	1.06	बीड	0.65
		2098 मी.	0.11	चा.उ	3.85
		2100 मी.	1.08	चा.उ.1.06	9.10
				जा.उ.0.02	0.35
	योग	किता 4	4.02	—	16.93

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

5	भंवरसिंह लालसिंह पिता भेरूसिंह मु. नाथुकुंवर पत्नी भेरूसिंह 1/4 हि.ब. माधुसिंह रतनकुंवर गीताकुंवर शोभाकुंवर सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह शंकरकुंवर पत्नी ईश्वरसिंह 1/4 हीरसिंह पिता हमेरसिंह 1/4 राजपूत सा. टिलोरा श्रीमती हरककुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह 1/4 राणावत राजपूत सा. उंखलिया मगरी टिलोरा खातेदार नोट : मा.सिविल न्यायालय मावली प्र.स. 191/2008 में अन्तर्गत हरककुंवर पत्नी भेरूसिंह का 1/24 हि. कुर्क हैं।	2058 2057/2 2095/1 2097 2098/2	0.10 0.02 0.02 0.05 0.03	रास्ता बीड बीड आ.चा.(कुआ) चा.उ.	– 0.05 0.05 – 1.05
	योग	किता 5	1.02	–	1.15

8. इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री लालसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।

................वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
2. श्रीमती नाथुकुंवर पत्नी भेरूसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
3. श्री माधुसिंह पिता ईशरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावलीं।
4. श्रीमती रतनकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी रणजीतसिंह राजपूत निवासी अबजी का खेडा, तह. नाथद्वारा।
5. श्रीमती गीताकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी ढिल्ली तह. रेलमगरा।
6. श्रीमती शोभाकुंवर पुत्री स्व. ईशरसिंह पत्नी अमरसिंह राजपूत निवासी रणिया भीण्डर तह. वल्लभनगर।
7. श्रीमती शंकरकुंवर पत्नी ईशरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
8. श्री हीरसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
9. श्रीमती हरक कुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह राणावत निवासी उंखलिया मगरी, टिलोरा तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
11. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।
12. सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी उंखलिया मंगरी तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 21/18 (वाद)

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.09.2020 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested

क्र.स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भंवरसिंह लालसिंह पिता भेरूसिंह मु. नाथुकुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह ही.ब. राजपूत सा. टिलोरा खातेदार	2059/1	1.00	जा.उ.	3.50
		2093 मी.	0.18	जा.उ.0.11	1.93
				चा.उ.0.07	2.45
		2094/1	0.16	चा.उ	5.60
		2095/2	0.01	बीड	0.02
		2096 मी.	1.05	चा.उ.0.19	6.65
				जा.उ.0.06	1.05
		2098/3	0.02	जा.उ.0.02	0.35
	योग	किता 6	4.02	—	21.55
2	माधुसिंह रतनकुंवर गीताकुंवर शोभाकुंवर सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह शंकर कुंवर पत्नी ईश्वरसिंह ही.ब.राजपूत सा. टिलोरा खातेदार	2059/3	0.17	चा.उ.	5.95
		2057 मी.	0.14	बीड	0.35
		2095 मी.	0.13	बीड	0.33
		2098/1	0.10	जा.उ.0.03	0.53
				चा.उ.0.07	2.45
		2099	0.12	जा.उ.0.05	0.88
				चा.उ.0.07	2.45
		2100/1	0.15	जा.उ.	2.63
	योग	किता 6	4.01	—	15.57
3	हीरसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत सा टिलोरा खातेदार	2059 मी.	1.12	जा.उ	5.60
		2057/3	0.03	बीड	0.08
		2092	1.07	चा.उ	9.45
		2093/1	0.04	चा.उ.	1.40
		2094 मी.	0.13	जा.उ.0.06	1.05
				चा.उ.0.07	2.45
		2096/1	0.02	जा.उ.	0.35
	योग	किता 6	4.01	—	20.38
4	श्रीमती हरककुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह राणावत राजपूत सा. उंखलिया मगरी टिलोरा खातेदार नोट : मा.सिविल न्यायालय मावली प्र.स. 191/2008 अन्तर्गत हरककुंवर पत्नी भेरूसिंह का 1/6 हिस्सा कुर्क हैं।	2059/2	0.17	जा.उ	2.98
		2057/1	1.06	बीड	0.65
		2098 मी.	0.11	चा.उ	3.85
		2100 मी.	1.08	चा.उ.1.06	9.10
				जा.उ.0.02	0.35
	योग	किता 4	4.02	—	16.93
5	भंवरसिंह लालसिंह पिता भेरूसिंह मु. नाथुकुंवर पत्नी भेरूसिंह 1/4 हि.ब. माधुसिंह रतनकुंवर गीताकुंवर शोभाकुंवर सोहनकुंवर पिता ईश्वरसिंह शंकरकुंवर पत्नी ईश्वरसिंह 1/4 हीरसिंह पिता हमेरसिंह 1/4 राजपूत सा. टिलोरा श्रीमती हरककुंवर पत्नी स्व. भेरूसिंह 1/4 राणावत राजपूत सा. उंखलिया मगरी टिलोरा खातेदार नोट : मा.सिविल न्यायालय मावली प्र.स. 191/2008 में अन्तर्गत हरककुंवर पत्नी भेरूसिंह का 1/24 हि. कुर्क हैं।	2058	0.10	रास्ता	—
		2057/2	0.02	बीड	0.05
		2095/1	0.02	बीड	0.05
		2097	0.05	आ.चा.(कुआ)	—
		2098/2	0.03	चा.उ.	1.05
	योग	किता 5	1.02	—	1.15

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 30.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:23:22 IST
Reason: SelfAttested